NHB(ND)/ROD/RRB/Refinance Circular 6/2014-15
Dated : 22-12-2014

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

To All Regional Rural Banks

Madam / Sir,

**Refinance Circular No. 6/2014-15**
**Eligibility Criteria for Availing NHB Refinance**

1. As you are aware, Regional Rural Banks desirous of availing refinance from NHB should have Net NPA to Net Advances ratio of not more than 5%. It was observed that many RRBs, owing to larger macroeconomic reasons, were not able to fulfil this condition and were thus not eligible for availing refinance despite having healthy housing loan portfolios. Pursuant to the feedback received from several RRBs, the maximum permissible NNPA ratio has been increased from 5% to 10%. However, the maximum quantum of refinance shall depend on the NNPA level of the RRB and shall be as given in **Table I** :

**Table I**

| Net NPAs to Net Advances Ratio (%) | % of Housing Loan Portfolio for which Refinance can be Extended |
|---|---|
| ≤ 5.0 | 100 |
| > 5.0 ≤ 7.5% | 80 |
| > 7.5 ≤ 10.0% | 50 |

2. Thus, the RRBs desirous of availing refinance would have to fulfil the following eligibility criteria :
   - be notified under Schedule II of the RBI Act,1934
   - have positive Net Owned Fund
   - have CRAR not less than 9%
   - be profit making for the preceding two years
   - have Net NPAs to Net Advances ratio of not more than 10%

3. All other terms and conditions for availing refinance, as applicable to Regional Rural Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.

4. We request you to step up your housing finance activities and to avail maximum refinance under the revised norms.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)
Deputy General Manager
Refinance Operations

एनएचबी(एनडी)/आरओडी/आरआरबी/पुनर्वित्त परिचालन 6/2014-14
दिनांकित: 22.12.2014

सभी पंजीकृत ग्रामीण बैंक

महोदया/ महोदय,

**पुनर्वित्त परिचालन सं. 6/2014-15**
**रा.आ.बैंक पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड**

1. जैसे कि आपको विदित है कि, रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के इच्छुक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवल अग्रिम अनुपात पर निवल एनपीए 5% से अधिक नहीं होना चाहिये। यह देखा गया था कि कई आरआरबी, बड़े व्यापक आर्थिक कारणों की वजह से, इस शर्त को पूरा नहीं कर सके और इसलिये स्वस्थ आवास ऋण पोर्टफोलियो होने के बावजूद पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं थे। कई आरआरबी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अनुसार, अधिकतम अनुमत्य एनएनपीए अनुपात 5% से 10% तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, पुनर्वित्त की अधिकतम मात्रा आरआरबी के एनएनपीए स्तर पर निर्भर करेगी और तालिका I में दिये गये के अनुसार होगी:

**तालिका I**

| निवल अग्रिम अनुपात पर निवल एनपीए (%) | आवास ऋण पोर्टफोलियो का % जिसके लिये पुनर्वित्त प्रदान किया जा सकता है |
|---|---|
| ≤ 5.0 | 100 |
| > 5.0 ≤ 7.5% | 80 |
| > 7.5 ≤ 10.0% | 50 |

2. इसलिये, पुनर्वित्त प्राप्त करने के इच्छुक आरआरबी को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
    - आरबीआई अधिनियम, 1934 की अनुसूची II के तहत अधिसूचित हो
    - सकारात्मक निवल स्वाधिकृत निधि हो
    - न्यूनतम 9% सीआरएआर हो
    - पिछले दो वर्षों से लाभ कमा रहा हो
    - निवल अग्रिम अनुपात पर निवल एनपीए अधिकतम 10% हो
3. पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिये अन्य सभी नियम व शर्तें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर यथा लागू हैं और जो समय-समय पर उन्हें सूचित किये गये हैं, लागू रहेंगे।
4. हमारा आपसे अनुरोध है कि अपने आवास वित्त क्रियाकलापों में तीव्रता लायें और संशोधित मानकों के तहत अधिकतम पुनर्वित्त प्राप्त करें।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

(वी. वैदेश्वरण)
उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन